# जिला उद्योग मित्र बैठक

दिनाँक – 17.01.2023

अध्यक्षता – श्री युगल किशोर पंत (आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

स्थान – ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम हॉल, कलैक्ट्रेट सभागार, रूद्रपुर।

| क्र. स. | बिन्दु | समस्या | अध्यक्ष / जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश | निराकरण |
|---|---|---|---|---|
| | जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित उद्योग मित्र बैठक दिनांक 17.08.2022 का कार्यवृत्त जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर के पत्रांक 441 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा सभी सदस्य गणों को बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है। | | | |
| 1 | सी0एस0आर0 के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट स्कूलों को गोद लिये जाने के संबंध में प्रगति | | | मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा 512 स्कूलों को गोद लिया गया है, जिसमें से 30 स्कूलों का एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है, 155 स्कूलों में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, तथा 55 स्कूलों में कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।<br>महोदय, इकाईयों द्वारा गोद लिये गये स्कूलों में किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु इकाईयों के साथ रोटेशन के आधार पर बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से निर्देश अपेक्षित हैं। |
| 2 | उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निति–2015 एवं महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजना 2015 के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज उपादान दावों को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में। | **महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना** – शासनादेश संख्या 2130 / 15 / 98 / 2015 दिनांक 03.11.2015 के द्वारा महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र इकाईयों को 6 प्रतिशत की दर सें अधिकतम सीमा रू0 5.00 लाख प्रति वर्ष / प्रति इकाई ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है।<br><br>**उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निति–2015 (यथा संशोधित 2020)** – शासनादेश संख्या 680/VII-3-20/146-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.06.20120 के द्वारा पात्र इकाईयों को 5 प्रतिशत की दर सें अधिकतम सीमा रू0 3.00 लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई ब्याज उपादान दिये जाने का | एजेन्डे के साथ संलग्न सूची के अनुसार महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजना 2015 के अन्तर्गत एवं उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निति–2015 (यथा संशोधित 2020) के अन्तर्गत क्रमशः कुल 50 इकाईयों के रू0 1,27,63,735.00 एवं 02 इकाईयों को रू0 4,38,060.00 के ब्याज उपादान आवेदन दावे प्राप्त हुये हैं। योजनान्तर्गत सम्बन्धित शासनादेशानुसार प्राप्त दावों को इस हेतु गठित समिति के सदस्यों से परीक्षण कराकर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। | सदस्य सचिव / महाप्रबन्धक, जि0उ0के0, ऊ0सिं0न0 अद्यतन स्थिति से अवगत करायें। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्राविधान है। | | |
| 3 | **काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0, काशीपुर (यूनिट–2) की स्थापना में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में** | श्री अशोक बन्सल सदस्य के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0 द्वारा उत्तराखण्ड शासन के भूमि क्रय आदेश पत्रांक 120/XVIII(II)/2020 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा 20.4135 हेक्टे0 कृषि भूमि क्रय कर राज्य सरकार द्वारा घोषित ''मेगा इन्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट पॉलिशी–2015'' के अन्तर्गत ग्राम गिरधई, बघेलेवाला एवं शिवलालपुर अमरझण्डा, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0 (यूनिट–2) के नाम से एक नए उद्योग की स्थापना की जा रही है। | | उपजिलधिकारी काशीपुर अद्यतन प्रगति से अवगत कराये। |
| 4 | **जिला पंचायत चौकी द्वारा वसूली जाने वाली धनराशि को बंद किए जाने के संबंध मे** | बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा किसी भी मार्ग पर अपनी चौकियों के माध्यम से माल भाड़ा सुविधा शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी परंतु कुछ समय से जसपुर से ठाकुरद्वारा राज्य मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा चौकी स्थापित की गई है, जिससे वसूली की जा रही है। उक्त चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कराये जाने का अनुरोध किया गया। | अध्यक्ष महोदय द्वारा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर से इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। | अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 4349 दिनाँक 17.12.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा निर्मित लदान – ढुलान उपविधियां उत्तराखण्ड गजट 14 नवम्बर 2020 में प्रकाशित व जिलाधिकारी महोदय ऊधम सिंह नगर के कार्यालय पत्र संख्या 1447 दिनांक 05 अगस्त 2017 द्वारा लदान दुलान शुल्क वसूली के अडडे चिन्हित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी , पुलिस अधीक्षक व अपर मुख्य अधिकारी की एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के सदस्यों द्वारा लदान दुलान के अडडे चिन्हित किये गए थे।<br>ई–निविदा के माध्यम से विकास खण्ड गदरपुर हेतु मै0 कुमाउ ट्रेडर्स, प्रो0 जुल्फअलीकार एवं |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | विकास खण्ड जसपुर तथा बाजपुर हेतु श्री जावेद अली को सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश निर्गत किये गये हैं। |
| 5 | **इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन करने की अनुमति के सम्बन्ध में** | बैठक में अवगत कराया गया कि आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में इंजीनियरिंग उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में श्रम संविदा कार्मिकों को रखने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि उत्तराखंड में इन उद्योगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित सहायक श्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की इंजीनियरिंग उद्योगों में दुर्घटना होने की संभावना अधिक होने के कारण संविदा श्रम शक्ति का नियोजन नहीं किया गया है। बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर उनकी समस्या का समाधान करने का निवेदन किया गया। | बैठक में सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिये गये कि उक्त समस्या का समाधान करते हुये आगामी बैठक में इसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे। | सहायक श्रमायुक्त, ऊधम सिंह नगर, द्वारा अपने पत्रॉक 111/ डी0एल0सी0 – यू0एस0एन0 – उद्योग मित्र बैठक/2023 दिनॉक 13.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि संविदा श्रम शक्ति उपरोक्त प्रकरण पर आवष्यक कार्यवाही शासन/मुख्यालय स्तर से की जानी है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 3571, दिनांक 15.12. 2022 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में ही मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। |
| 6 | **सीडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी नहीं किए जाने अथवा विलम्ब से जारी किये जाने के सम्बन्ध में** | बैठक में उपस्थित अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सीडा पन्तनगर द्वारा औद्योगिक प्रोजेक्ट कम्पलीट होने के उपरान्त भी कई इकाईयों को कम्पलीशन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जिससे औद्योगिक इकाइयों को बैंक एवं अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है। बैठक में सहायक आर्किटेक्ट सीडा, पन्तनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि 18.08. 2022 तक सीडा द्वारा 127 औद्योगिक इकाइयों एवं 35 आवासीय भवनों को कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्रदान | बैठक में सहायक आर्किटेक्ट सीडा, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि सीडा के पोर्टल पर लम्बित आवेदन की सूची एवं अप्रूवल उपरान्त जारी प्रमाण पत्रों की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करें, ताकि उक्त प्रकरण पर विस्तृत समीक्षा की जा सके। | सहायक आर्किटेक्ट सीडा पन्तनगर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने संयुक्त पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा सीडा के उक्त बिन्दु के सम्बंध में अवगत कराया गया है कि वर्श 2017 तक ऑफलाईन माध्यम से 82 इकाईयो का CTO एवं 551 CTE मानचित्र जारी किये गये थे, वर्ष 2017 के बाद online माध्यम से 90 इकाईयों को CTO एवं 242 CTE जारी किया जा चुका है । वर्तमान में जिला उधमसिंह नगर की 03 CTO एवं 22 CTE की फाईलें अनुमोदन हेतु गतिमान है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | किये जा चुके हैं एवं 26 आवेदन पत्रों पर किन्हीं कमियों के कारण कार्यालय द्वारा आपत्ति लगाई गई है, जिनका निराकरण होने के उपरान्त उन्हें भी कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। | | |
| 7 | **रूद्रपुर में वेयरहाऊस की स्थापना के सम्बन्ध मे** | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक,सिडकुल,पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में लगभग 20 एकड भूमि में 10 वेयर हाउस की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि उक्त वेयर हाउसों की स्थापना मानकानुसार की जाये एवं निर्धारित समयान्तर्गत ही कार्य पूर्ण किया जाये ताकि जनपद के उद्योगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वेयर हाउस की स्थापना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है किन्तु उक्त भूमि के ऊपर से UPCL की 33/11 के0 वी0 की विद्युत लाईन गुजरती है जिसको षिफ्टिंग करने का कार्य UPCL द्वारा अतिथि तक लम्बित है। जबकि सिडकुल द्वारा प्रस्तावित कार्य कार्यदायी सस्था द्वारा पूर्ण कर लिया गया है किन्तु कार्यादायी सस्था द्वारा पूर्ण किये गये कार्य को UPCL द्वारा आतिथि तक हस्तगत नही किया गया है, जिस कारण उक्त भूमि पर गुजरने वाली लाईन का षिफ्टिंग का कार्य लम्बित है। |
| 8 | **काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की समस्याओं के सम्बन्ध मे** | बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि काशीपुर स्थित औद्योगिक आस्थान में सड़कों एवं नालियों के ध्वस्त होने से बरसात का एवं उद्योगों से निकलने वाला पानी औद्योगिक आस्थान की सड़कों में ही भरा रहता है। इससे यहाँ पर कार्यरत उद्योगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा की जाती रहे एवं संस्था से कार्य समय पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि उद्यमियों को स–समय इन्फ्रास्ट्रैक्चर सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, काशीपुर द्वारा अपने पत्र सं0 721 दिनांक 11,01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल काशीपुर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बाजपुर – 1 ( पीपलिया ) एवं बाजपुर –2 ( बेरिया ) आते हैं जिनमें अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य कार्यदायी संस्था WAPCOS द्वारा किया जा रहा है। |
| 9 | **मैथनॉल के लाईसेन्स की वैधता 5 साल के लिए किये जाने के** | बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उद्योगों में उपयोग होने वाले मैथनॉल लाईसेंस की वैधता केवल 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष बाद पुनः लाईसेन्स जारी | बैठक में जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त पत्र का अनुस्मारक आयुक्त, आबकारी, देहरादून को पुनः प्रेषित करते हुये इस प्रकरण का | जिला आबकारी अधिकारी अद्यतन प्रगति से अवगत कराये। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सम्बन्ध में | कराने में उद्यमियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त लाइसेन्स की वैधता 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। इस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनॉक 18.05.2022 को उद्योग मित्र की बैठक में दिये निर्देशानुसार मिथेनॉल के लाईसेन्स की वैद्यता 5 वर्ष किये जाने हेतु प्रस्ताव आबकारी आयुक्त, देहरादून को प्रेषित किया गया है। चूॅकि प्रकरण नीति विषयक है। इस पर शासन के निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। | फॉलोअप प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। | |
| 10 | **नॉन अटेटमैन्ट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियों से चर्चा** | क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि काशीपुर में प्रदूषण कम करने हेतु काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियो/औद्योगिक संगठनों के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की गई है –<br>1– मै0 नैनी टिस्यूज, मुरादाबाद रोड़, काशीपुर द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में लगभग 6000 वृक्ष लगाये गये हैं।<br>2– इनरव्हील क्लब ऑफ काशीपुर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ग्राम – बाबरखेड़ा में लगभग 1500 वृक्ष रोपण किये गये हैं।<br>3– मै0 फैलक्सी टफ इन्टरनैशनल, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में लगभग 75 वृक्षों का रोपण किया गया है।<br>4– ईदगाह महुवाखेड़ागंज में 26 वृक्षों एवं कब्रस्तान | बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि इकाईयों से निकलने वाले दूषित कचरे के मैनेजमेन्ट हेतु इकाईयों को नियमानुसार सुविधा उपलब्ध कराई जाये एवं शहर को स्वच्छ रखने एवं सार्वजनिक डस्टबिनों की नियमित सफाई नगर निगम के माध्यम से कराई जाये ताकि शहर अन्तर्गत प्रदूषण को नियन्त्रण किया जा सके। | 1– **नगर आयुक्त नगर निगम** अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।<br><br>2– **क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा अपने पत्र सं0 120/720, दिनांक 16.01.2023 अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) परियोजना के अन्तर्गत काशीपुर शहर को नॉन अटनमेन्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। जिस हेतु काशीपुर के वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्ययोजना (Action Plan) अनुमोदित की गयी है। अनुमोदित कार्ययोजना में सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके लिये निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।<br>राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योगों में पैट कोक एवं फर्नेस ऑयल पूर्णतय प्रतिबन्धित किया |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | महुवाखेड़ागंज में लगभग 70 वृक्षों का रोपण किया गया है।<br>5– मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स, बाजपुर रोड काशीपुर द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में लगभग 250 एवं ग्राम दभौरा, काशीपुर में लगभग 300 वृक्षों को रोपण किया गया है।<br>6– मै0 काशी विश्वनाथ स्टील्स लि0, बाजपुर रोड, काशीपुर द्वारा ग्राम शिवलालपुर दल्लू काशीपुर में लगभग 5 एकड़ की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।<br>उक्त के अतिरिक्त नगर निगम, काशीपुर, वन विभाग, काशीपुर एवं अन्य उद्योग/उद्योग संगठनों से उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।<br>साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं शहर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा वेस्ट मैनेजमेन्ट की निगरानी भी समय–समय पर की जा रही है। | | गया है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों में हाई ड्राफ्ट (जिग जैग प्रणाली) की स्थापना एवं इन्डेक्शन फर्नेस युक्त इकाईयों में Side Draft with Bag Filter/Ventury Scrubber की स्थापनाओं को अनिवार्य किया गया है। उक्त के अनुपालन में जनपद ऊधम सिंह नगर में कुल 43 ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों एवं 09 इन्डेक्शन फर्नेस युक्त इकाईयों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन कर लिया गया है। शेष इकाईयों में निर्देशानुसार निर्धारित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अग्रेत्तर इसी क्रम में विभिन्न उद्योगों द्वारा धूल नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उद्योग परिसर के अन्दर के मार्गो को पेवमेन्ट/अथवा पक्का कराया गया है। काशी विश्वनाथ स्टील, गलवलिया इस्पातए देवअर्पण फूड, नैनी पेपर्स आदि इकाईयों द्वारा पेवमेन्ट आदि के कार्य कर लिये गये है।<br>नॉन अटैनमेन्ट सिटी काशीपुर हेतु निर्धारित/प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हित धारकों के साथ बैठके की जाती रही है। दिनांक 13.01.2023 को भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगमए विकास प्राधिकरण स्थानीय प्रशासनए पुलिस, वन विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभागए खाद्य विभाग, कृषि विभाग आदि के साथ समीक्षा बैठक की गयी है। |
| 11 | **महुआखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक रोड की दयनीय स्थिति के संबंध में** | अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि महुआखेडागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेडा तक मार्ग की कुल लम्बाई 24.850 किमी है। मार्ग के किमी 11 से 18.500 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। जिसकी चैनेजवाईज स्थिति निम्नवत है। | बैठक में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को निर्देश दिये गये कि जिन मार्गों के निर्माण की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, उनकी निविदा नियत तिथि को खोल कर निर्धारित अवधि अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाये। | अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अपने संख्या 74/11एमजी दिनॉक 11.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि महुआखेडागंज रेलवे कासिंग से खाईखेडा तक (ढकिया–गुलाबो–पेगा–मुकुन्दपुर मार्ग) मार्ग की कुल लम्बाई 25.757 किमी है। मार्ग के किमी 11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (1) चै0 10.00 से 13.700 – उक्त प्रभाग का आगणन मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 2270/01 दिनांक 11.06.21 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है। आतिथि तक स्वीकृति आपेक्षित है।<br>(2) चै0 13.700 से 16.000 – उक्त प्रभाग के 2.30 किमी लम्बाई के पुनः निर्माण हेतु रु0 452.68 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 30.08.2022 को प्राप्त कर खोली जानी है।<br>(3) चै0 16.00 से 18.625 – उक्त मार्ग के इस प्रभाग के पुनः निर्माण का कार्य माह अप्रैल 2022 में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है । | | से 16 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। उक्त 06 किमी मार्ग की चैनवाईज स्थिति निम्नवत है।<br>(1) चै0 10.00 से 13.700 – उक्त प्रभाग के पुनः निर्माण हेतु आगणन मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी के पत्रांक 6543 दिनांक 01.12.22 द्वारा 2.70 किमी लम्बाई एवं लागत रू0 553.25 लाख शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।<br>(2) चै0 13.700 से 16.000 – उक्त प्रभाग के 2.30 किमी लम्बाई के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृति शा0सं01/54700/2022 (ई0फाईल सं0 28709) दिनांक 04.08.2022 के द्वारा रू0 452.68 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त प्रभाग पर कार्य प्रगति पर है।<br>(3) चै0 16.00 से 18.625 – उक्त मार्ग के इस प्रभाग का पुनः निर्माण कर दिया गया है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है । |
| 12 | **उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में** | बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बिजली की अघोषित कटौती वर्तमान में भी जारी है, जिससे न केवल उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है बल्कि इकाई को आर्थिक हानि भी होती है।<br>अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अविरल एवं विरल विधा के उद्योगों में दिनांक 16.07.2022 से विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। फर्नेस इकाईयों में लगभग 5 से 6 घण्टे की विद्युत कटौती की जा रही है। उपरोक्त विद्युत कटौती देहरादून स्थित स्टेट कंट्रोल रूम के निर्देशानुसार की जा रही है। विद्युत रोस्टिंग हेतु सूचना मुख्यालय देहरादून से प्राप्त होती है। भविष्य में रोस्टिंग की सूचना प्राप्त | बैठक में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन क्षेत्रों में रोस्टिंग की जानी है, उन क्षेत्रों की इकाई को रोस्टिंग से पूर्व ही अवगत करा दिया जाये ताकि उत्पादन कार्य अवरूद्ध न हो पाये। साथ ही जिन क्षेत्रों में विद्युत लाइनों एवं खम्बों का मैन्टिनेन्स कार्य किया जाना है, उन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरान्त ही उक्त कार्य किया जाये ताकि मेन्टिनेस के समय विद्युत कटौती होने क कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित न हो। साथ ही जिन कार्यो हेतु बजट प्राप्त हो चुका है, उनकी निविदा आमंत्रित कर तत्काल अग्रिम कार्यवाही की जाये। | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितररण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्र सं0 51/वि0वि0खण्ड(रू0), दिनांक 16.01.2013 के द्वारा अवगत कराया गया है कि रूद्रपुर में विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर तथा प्रथम एवं द्वितीय के अन्तर्गत वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ताओं की रोस्टिंग नहीं हो रही है।<br>सितारगंज में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड के अन्तर्गत औद्योगिक उपभौक्ताओं की रोस्टिंग नहीं हो रही है।<br>बाजपुर में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड के अन्तर्गत औद्योगिक पोषकों की वर्तमान में कोई रोस्टिंग नहीं हो रही है एवं उक्त पोषकों की |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | होने पर संबंधित क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिनिधियों को रोस्टिंग की सूचना प्रदान करा दी जायेगी।<br>एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0<br>सितागरंज के प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दानपुर औद्योगिक पोषक की लम्बाई ज्यादा होने के कारण कई प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो रही है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लाईन में दिनांक 03.07.2022 को अनुरक्षण एवं लौपिंग चौपिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है दिनांक 04.08.2022 को Long Span में विद्युत पोल स्थापित कर दिये गये हैं। कई स्थानों पर खेतों में फसल होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा कार्य करने में आपत्ति की जा रही है। फसल कटने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा। साथ ही मै0 उमा शक्ति स्टील, बाजपुर के समीप नीचे लटके हुए विद्युत फीडर के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य हेतु रु0 69.00 लाख का अनुमोदन प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा अनुबन्ध की प्रक्रिया गतिमान है एवं आगामी सप्ताह से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । | | स्पालाई पोजिशन ठीक है।<br>मै0 उमा शक्ति स्टील बाजपुर के संबंध में अवगत कराया है कि उक्त 33 केवी विद्युत लाईन का अनुरक्षण कार्य एवं लॉपिंग–चौपिंग का कार्य पूर्व में ही करा दिया गया था तथा 33 केवी लाईन के लॉन्ग स्पॉन में विद्युत पोल स्थापित कर लाईन को दूरूस्त कर दिया गया है। वर्तमान में उपरेक्त 33 केवी पोषकों की विद्युत आपूर्ति सूचारू रूप से ही जा रही है। |
| 13 | **सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में** | एस0ई0डब्लू0एस0 के उपाध्यक्ष श्री श्रीकर सिन्हा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। रात्रि के समय इन कार्मिकों की सुरक्षा एवं ट्रेफिक की व्यवस्था हेतु सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित कराया जाना चाहिये, ताकि कार्मिकों की लूटपाट की घटनायें कम हो एवं ट्रेफिक भी व्यवस्थित रह सके। चूंकि चौकी में पुलिस कर्मियों की संख्या अत्यन्त कम है, जिस | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक पन्तनगर एवं सितारगंज को निर्देश दिये गये कि क्रमशः सिडकुल पन्तनगर चौकी में पुलिस कर्मियों की संख्या बड़ाने एवं उक्त चौकी को रिर्पोटिंग चौकी बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार करें एवं क्षेत्रीय प्रबनक सिडकुल सितारगंज, सिडकुल चौकी को रिर्पोटिंग चौकी बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा अपने पत्र सं0 6207 दिनांक 20.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित पुलिस चौकी को रिर्पोटिंग चौकी बनाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, ऊधम सिंह नगर को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।<br><br>क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कारण लूटपाट की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। उक्त के अतिरिक्त एस0एस0ई0डब्लू0ए0 के प्रतिनिधि श्री दुर्गेश मोहन द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल सितारगंज के समीप स्थित चौकी रिपोर्टिंग चौकी नहीं है, जिस कारण वहां किसी भी प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है। | | अपने पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु पर पुलिस विभाग द्वारा आख्या प्रेषित की जानी है। |
| 14 | सिड़कुल पंतनगर में विद्युत व्यवस्था के संबंध में | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिस सैक्टर में भी लाइटों में खराबी अथवा अन्य समस्या आती है, सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उक्त समस्या का समाधान किया जाता है। | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि सिडकुल पन्तनगर के समस्त सैक्टरों में निरीक्षण किया जाये एवं जिन सैक्टरों में लाइटें नहीं लगी है या लाइटे जल नहीं रही है, उनको तत्काल बदलते हुए नई लाईट लगाई जाये ताकि उद्यमियों एवं इकाइयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रात्रि के समय आने–जाने में समस्या उत्पन्न न हो। | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सेक्टर 03,12,09 IIDC, हिन्दुस्तान जींक एवं सिडकुल के मुख्य मार्गो की स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्यों को किया गया है। वर्तमान में सेक्टर 03 एवं 04 कार्य को UPCL के कार्य गतिमान होने के कारण रोका गया है जिनको पूर्ण होते ही इन सेक्टर के कार्यो को भी पूर्ण कर लिया जायेगा। |
| 15 | सिडकुल पंतनगर में सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में | बैठक में उपाध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है परन्तु वर्तमान में कुछ सड़के अत्यन्त खराब हैं, जिनको सही किया जाना है, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है –<br>1– सैक्टर–11 की सर्विस लेन, जो पानी की टंकी से अनुसुइया ऑटो होते हुए टाटा मोर्टस गेट नम्बर 04 तक जाती है।<br>2– सैक्टर आई0आई0डी0सी0 में मैक्सिमा सोल्यूशन के पास।<br>3– सैक्टर 04 में पार्कसन पैकेजिंग के पास।<br>उपरोक्त के अतिरिक्त जो सड़के बनी हुई | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर को निर्देश दिये गये कि खराब सड़कों का आगणन तैयार कर सिडकुल मुख्यालय प्रेषित करें। जो कार्य वर्षाऋतु के कारण लम्बित है, उसे भी स–समय पूर्ण कर लिया जाये। साथ ही सड़कों की सफाई एवं नालों की सफाई की व्यवस्था भी की जाये ताकि इकाई के सामने पानी भरने से उनको समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल को निर्देशित किया गया कि अपर जिलाधिकारी नजूल/प्रशासन की अध्यक्षता में सिडकुल मेन्टिनेशन कमेटी की बैठक प्रत्येक 15 दिवस में आयोजित की | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 33 मार्गो की मरम्मत कार्यो का आगणन लो0 नि0 विभाग रूद्रपुर के माध्यम से गठित करवाकर, सिडकुल समिति के हस्ताक्षर कर सिडकुल मुख्यालय को प्रेशित किया गया है, जिसके सापेक्ष 31 आगणन अनुमोदन हो गया है तथा 03 मार्गो का टेन्डर भी प्रकाषित हो गया है तथा वर्तमान में 28 मार्गो के समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हो चुके है , अतिषीघ्र कार्य सूचारू रूप में प्रारम्भ किया जायेगा। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | है, उनमे कहीं–कहीं टूटफूट हुई है, जिनकी मरम्मत कराई जानी है। बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल में सड़कों ही सफाई एवं ड्रेनेज वाटर की समस्या का समाधान किया जाना आवश्यक है। ड्रेनेज वाटर के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे सड़क समय से पूर्व ही खराब हो जाती हैं एवं एस0ई0डब्ल्यू0एस0 के सदस्यों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल मेन्टिनेन्स कमेटी की बैठक वर्तमान में नहीं हो पा रही है, जिससे मेन्टिनेन्स सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा भी नहीं की जा रही है। | जायेगी ताकि सिडकुल मेन्टिनेशन के कार्यों की लगातार समीक्षा की जाती रहे। | |
| 16 | **सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में सिडकुल पंतनगर में फैसिलिटी ब्लाक के अन्तर्गत दुकानों के आवंटन हेतु रिक्त दुकानों की सूचना/आख्या क्षेत्रीय कार्यालय पंतनगर के द्वारा सिडकुल मुख्यालय, देहरादून को अग्रसारित कर दी गई है आवंटन हेतु टैन्डर की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से सम्पन्न की जाती है जो कि गतिमान है। | इस पर समस्त उद्यमियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 शौचालय सुचारू रूप में गतिमान हैं। |
| 17 | **सिडकुल पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया है कि सिडकुल द्वारा समस्त औद्योगिक इकाईयों को वाहन अपनी इकाई की पार्किंग में खडे करने एवं इकाई में माल छोडने एवं ले जाने वाले वाहनों को रोड में न खडे करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। साथ ही औद्योगिक संगठनों के साथ एवं ट्रांसपोर्टर्स के साथ ए0आर0टी0ओ0, ऊधम सिंह नगर की अध्यक्षता में बैठक की जा चुकी है। वर्तमान में ए0आर0टी0ओ0 एवं पुलिस चौकी द्वारा मुख्य मार्गो में खडे वाहनों | बैठक में समस्त उद्यमियों से अपेक्षा की गई कि पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया जाये ताकि वाहनों को आने–जाने में अवरोद्ध उत्पन्न न हो। | **1–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र 8424 दिनॉक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल पंतनगर प्रवर्तन कार्यवाही कर 300 वाहनों का चालान किया गया है।<br><br>**2–क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र सं0 897 दिनांक 12,01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल पन्तनगर में पार्किग व्यवस्था हेतु पार्किग स्थल उपलब्ध |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | का चालान काटने की कार्यवाही भी की जा रही है। बैठक में उपस्थित ए0आर0टी0ओ0 (ई) द्वारा सदन को अवगत कराया है कि नो पार्किंग पर खड़े वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही कर 198 चालान किये गये है एवं प्रवर्तन की कार्यवाही निरन्तर जारी है। | | है तथा पुलिस विभाग एवं सिडकुल सुरक्षाकर्मियों द्वारा चालान की कार्यवाही भी की जा रही है। |
| 18 | **सिडकुल के मार्ग पर बस चलाने के संबंध मे** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया है कि वर्तमान में सिडकुल पन्तनगर में इन्टरसिटी बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है परन्तु बसों को समुचित सवारी न मिलने के कारण उक्त बसें भविष्य में बस मालिकों द्वारा बन्द की जा सकती है। | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पंन्तनगर एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि इकाई के कर्मिकों की शिफ्ट बदलने का समय इस प्रकार निर्धारित करें कि बसों को सवारी मिलती रहें एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया गया कि बसों से उनके आने–जाने का समय प्राप्त कर रोस्टर तैयार करें, जिसें समस्त औद्योगिक प्रतिनिधियों को साझा किया जाये ताकि उनके द्वारा रोस्टरानुसार इकाई में कार्मिकों की शिफ्ट का समय तय किया जा सके। | **1–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र 8424 दिनॉक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर मार्ग पर इण्टर सिटी बसों का संचालन सुचारू रूप से कर दिया गया है।<br><br>**2–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 897 दिनॉक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि इस संबंध में सिडकुल समिति द्वारा रोड मैप उपलब्ध कराया जाना है। |
| 19 | **रिद्धी सिद्धी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया है कि बाईपास रोड हेतु पूर्व में प्रान्तीयखण्ड लो0नि0वि0 रूद्रपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आगणन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु एस0ओ0आर0 की दरों में परिवर्तन हो जाने के कारण लो0नि0वि0 द्वारा पुनः ले–आउट प्लान उपलब्ध कराया गया है जिस पर कार्यवाही गतिमान है। इस पर बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि एस0ओ0आर0 की दरें परिवर्तित हो जाने के कारण पुनः ले–आउट प्लान एवं बाईपास के निर्माण हेतु प्रथम चरण का | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पंन्तनगर को निर्देशित किया गया कि प्राप्त ले–आउट प्लान एवं बाईपास रोड का आगणन सिडकुल मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि तय समय सीमा के अन्तर्गत बाईपास रोड निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा सके। | **1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 897 दिनॉक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल पन्तनगर में मै0 रिद्वीसिद्वि कार्नप्रोसेसिंग प्रा0लि0 के पीछे (सैक्टर 9 से प्लाट 12ए तक) सिंचाई नहर के समानान्तर मार्ग के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 732/क्षे0प्र0/2021 दिनांक 01.01.2022 द्वारा अधिषासी अभियंता सिचाई विभाग रूदुपर को प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लोक निर्माण विभाग को प्रेशित किया गया है तथा मुख्यालय द्वारा उक्त मार्ग का सर्वे करवाने के निर्देष दिये गये है। कार्य गतिमान है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आगणन सिडकुल पंतनगर को उपलब्ध करा दिया गया है। | | **2–अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** अपने पत्र सं0 111/14सी दिनांक 13.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि बाईपास निर्माण हेतु प्रथम चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 1806 दिनांक 08.08.2022 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर को उपलब्ध करा दिया गया है। |
| 20 | **Foot over Bridge के संबंध में** | बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उप प्रबन्धक तकनीकी द्वारा अवगत कराया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के प्रस्ताव मुख्यालय स्तर से अनुमोदित हो चुका है, जिस पर एन0आई0टी0 फ्लोटिंग का कार्य प्रगति पर है। | बैठक में प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार समय निर्धारित करते हुए पूर्ण की जाये। | प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्रांक रहित पत्र दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु निविदा आंमत्रित की गई थी किन्तु निविदायें भली–भांति प्राप्त न होने के कारण उक्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी, जिस हेतु पुनः निविदायें आमंत्रित की गई हैं। |
| 21 | **ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से आई0आई0ई0 के समस्त सेक्टर के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा सदन को अवगत करया गया कि लोक निर्माण विभाग को प्रथम चरण में सिडकुल द्वारा रू0 07.53 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि ई0एस0आई0सी0 अस्पताल को सिडकुल से जोड़ने हेतु कल्याणी नदी के पुल एंव मार्ग निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य करा लिया गया है तथा पुल के डिजाईन हेतु कन्सल्टेंट से निविदा आमंत्रित कर ली गयी है, शीघ्र डिजाईन प्राप्त कर आगणन तैयार कर लिया जायेगा। | बैठक में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि 10 सितम्बर, 2022 तक उक्त कार्य का आगणन तैयार कर टैण्डर आयोजित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्य आरम्भ कराया जा सके। | **1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र 897 दिनॉक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि भूमि से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से राजस्व विभाग से सम्पर्क किया गया है राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना अपेक्षित है तथा वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग को प्रथम चरण में सिडकुल द्वारा रू0 7.53 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य का विस्तृत सर्वे कर निर्माण कार्य हेतु आगणन हेतु पत्रांक 1801/14C दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से कुछ समय ओर चाहा गई है। लोक निर्माण विभाग |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | स्तर पर टी0एस0सी0 की कार्यवाही गतिमान है।<br><br>**2–अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** ने अपने पत्र सं0 111 / 14सी दिनांक 13.01.2023 द्वारा अवगत कराया है कि ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से आई0आई0ई0 पन्तनगर के समस्त सैक्टरों के कनेक्टिंग रोड एवं कल्याणी नदी पर पुल निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 5133 दिनांक 11.11.2022 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर के माध्यम से पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु डीपीआर रू0 343.94 लाख की गठित कर स्वीकृति हेतु सिडकुल कार्यालय देहरादून को उपब्ध करायी गई थी। क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर के माध्यम से उनके द्वारा कल्याणी नदी के पुल के डिजाईन को लोक निर्माण विभाग द्वारा ही वैट कराकर डीपीआर के टीएसी कराकर भेजने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पुल का डिजाईन आईआईटी वाराणसी (बीएचयू) से वैट कराने के उपरान्त डीपीआर अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त लोक निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर द्वारा जांचोपरान्त पत्रांक 3699 दिनांक 03.12.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को टीएसी हेतु प्रेषित है। एक सप्ताह में उक्त डीपीआर की टीएसी उपरान्त सिडकुल कार्यालय देहरादून को उपलब्ध करा दी जायेगी। |
| 22 | **सिडकुल सितारगंज से चोरगलिया तक सड़क की खराब स्थिति के संबंध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि सिडकुल मुख्यालय देहरादून में दिनांक 28 जून 2022 को महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग नैनीताल के साथ हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग | बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज को निर्देशित किया गया कि सड़क निर्माण के प्रकरण पर शासन स्तर पर गतिमान कार्यवाही का फोलोअप लेते रहें ताकि औद्योगिक प्रतिनिधि भी आपके माध्यम | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा अपने पत्र 6207 दिनॉक 20.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क का मरम्मत / पैच वर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।<br>सिडकुल स्वामित्व में आई0आई0ई0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित मार्ग को नए सिरे से क्रस्ट डिजाइन करते हुए डीपीआर गठित कर ली गई है तथा उक्त कार्य को केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है मार्ग की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त बैठक में सिडकुल सितारगंज के उद्यमियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल परिसर में बाहरी लोगों द्वारा झुग्गी/झोपड़ियों में दुकानें स्थापित की गई हैं, जिनसे परिसर के अन्दर का माहौल भी खराब होता है एवं परिसर में गन्दिगी बनी रहती है। इस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल फेज 01 एवं फेज 02 में अनुमानित 100 से अधिक झुग्गी/झोपड़ियां स्थापित हैं। फेज–02 क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल के अन्तर्गत आता है एवं फेज 01 एल्डिको सिडकुल के अन्तर्गत आता है। | से उक्त प्रकरण पर अद्यतन स्थिति से अवगत रहें साथ ही क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सितारगंज एवं प्रबन्धक एल्डिकों सिडकुल सितारगंज को निर्देशित किया गया कि माह सितम्बर 2022 तक समस्त झुग्गी/झोपड़ियों को सिडकुल परिसर से हटा दिया जाये तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त गार्ड तैनात किये जाये। साथ ही उक्त औद्योगिक प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया गया कि वे भी अपनी इकाई के आस–पास अनाधिकृत स्ट्रैक्चर स्थापित न होने दें। | सितारगंज फेज–2 में अतिक्रमित समस्त झुग्गी/झोपड़ियों को हटाये जाने हेतु एल्डिकों को निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है। |
| 23 | **एल्डिको सिडकुल औ0 पार्क, सितारगंज के फेज–2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि प्लास्टिक पार्क के समीप एक सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सभी इनकमिंग आउटगोइंग केबिल्स को डाल दिया गया है। वीएलबी आर.एम.यू स्विच चार्जेस को स्थापित कर दिया गया है। Measuring and Testing कार्य प्रगति पर है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली द्वारा किया जा रहा है एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि माह जून 2022 निर्धारित की गई थी, जिसके स्थान पर यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा उक्त कार्य माह सितम्बर 2022 में पूर्ण करने के सम्बन्ध में अवगत कराया | जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर यू0पी0आर0एन0एन0 को निर्देशित किया कि उक्त कार्य निर्धारित अवधि अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। | 1–**क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र 6207 दिनॉक 20.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र सितारगंज, फेज–02 में एक 33/11 केवी के सब स्टेशन के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सिडकुल सितारगंज द्वारा उक्त सब–स्टेशन को शीघ्र उर्जीकृत करवाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था य0पी0आर0एन0एन0, विद्युत इकाई बरेली को निर्देशित किया गया है। वर्तमान में प्रगति शून्य है। कार्यवाही कार्यदायी संस्था के स्तर पर लम्बित है।<br><br>2–**यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली** अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | गया है। बैठक में उपस्थित यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि कुछ पार्ट्स चोरी हो जाने के कारण उन पार्ट्स को आयात किया जा रहा है। पार्ट्स प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल उक्त कार्य को पूर्ण करने सम्बन्धी कार्य कर ली जायेगी। | | |
| 24 | **सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में** | बैठक में अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खटीमा द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि रामनगर–कालादुंगी, चोरगलिया– सितारगंज–बिज्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–41) के अन्तर्गत सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के किमी 96 से 111 तक कुल 15.00 किमी लम्बाई में मार्ग के डामरीकरण का कार्य कराया गया है एवं मार्ग की सतह यातायात हेतु सुलभ है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (CRIF) के अन्तर्गत Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव मार्ग की 24.00 किमी लम्बाई हेतु रू0 85.00 करोड़ का आगणन तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0 रूद्रपुर के पत्रांक सं0 2042 दिनांक 27. 07.2022 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। | बैठक में अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 सितारगंज को निर्देश दिये गये कि शासन से उक्त मार्ग की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये ताकि मार्ग का चौड़ीकरण निर्धारित समयावधि अन्तर्गत कराकर उद्यमियों एवं जनमानस को आवागमन में सुविधा प्रदान की जा सके। | **अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खटीमा** द्वारा अपने पत्र सं0 85 दिनांक 12.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि रामनगर–कालादुंगी, चोरगलिया–सितारगंज–बिज्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–41) के अन्तर्गत सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के किमी 96 से 111 तक कुल 15.00 किमी लम्बाई में मार्ग पूर्णतः डामरीकृत है एवं इस पर यातायात सुलभ है।<br>मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (CRIF) के अन्तर्गत मार्ग की 15.50 किमी लम्बाई में Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव रू0 55.00 करोड़ का आगणन गठित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया था परन्तु Utility Shifting, भूमि अधिग्रहण इत्यादि के कारण उक्त प्रस्ताव आपत्ति में है। Utility Shifting, के अन्तर्गत विद्युत पोल/विद्युत लाइन के विस्थापन हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड सितारगंज को आगणन उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया है तथा भूमि के अधिग्रहण हेतु औद्योगिक विकास विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त की जानी है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | **सिडकुल परिसर में धरना/आन्दोलनों को रोकने के संबंध में** | क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर एवं सितारगंज द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि समस्त इकाइयों को इस सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि वे उनकी इकाई में कार्यरत कार्मिकों के प्रकरण इकाई प्रबन्धन के माध्यम से ही निराकरण करायें। | औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि कर्मचारियों के प्रकरण निष्पादन हेतु प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन करें ताकि समस्त कार्मिक अपनी समस्या इकाई प्रबन्धन के सम्मुख रख सकें। इस प्रकार से समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा एवं कम्यूनिकेशन गैप भी कम होगा। | **क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र 6207 दिनॉक 20.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संबंध में औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी इकाई में कार्मिकों/श्रमिकों की समस्याओं के सुचारू निष्पादन हेतु प्रत्येक माह में एक बैठक का आयोजन करें एवं कार्मिकों/श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें।<br>**क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल**, पन्तनगर द्वारा अपने पत्र 897 दिनॉक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल परिसर में धरना/आन्दोलनों न करने के संबंध में सिडकुल समिति से वार्ता की गई है तथा धरना/आन्दोलनों हेतु स्थल की अनुमति उपजिलाधिकारी महोदय अथवा प्रषासन से प्राप्त करनी होगी। |
| 26 | **पन्तनगर से रूद्रपुर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में** | प्रबन्धक एन0एच0ए0आई0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पन्तनगर–रूद्रपुर मार्ग पर बन रहे फ्लाई ओवर पर हल्द्वानी मोड़ के पास डाइवर्जन बोर्ड न लगे होने के सम्बन्ध में उद्यमियों द्वारा पूर्व उद्योग मित्र बैठक में अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में समस्या का निराकरण करते हुए उक्त सन्दर्भित स्थान पर डाइवर्जन के बोर्ड लगा दिये गये हैं। | उक्त बिन्दु पर सभी उद्यमियों द्वारा सहमती प्रकट की गई। | प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्रांक रहित पत्र दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना की कुल लम्बाई–49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव् नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा कार्यदायी संस्था को क्योर पीरियड नोटिस जारी करते हुए, अवशेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उक्त कार्य नये संवेदक के माध्यम से शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा। |
| 27 | **एन0एच0 74 एवं 87 के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध** | बैठक में के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल एवं अन्य उपस्थित उद्यमियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि | बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहायक प्रबन्धक तकनीकी को निर्देश दिये गये कि शेष कार्य नियत अवधि अन्तर्गत पूर्ण | प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्रांक रहित पत्र दिनांक 12.01.2023 के द्वारा एन0एच074 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मे | रूद्रपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 एवं 87 पर विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण का कार्य अधूरा होने के कारण वाहनों के आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहायक प्रबन्धक तकनीकी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर शहरी क्षेत्र में सड़क के दोनों साइडों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मेडिसिटी अस्पताल के समीप सर्विस रोड के दोनों साइडों का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य 30 अगस्त, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा एन0एच0 87 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय, रूद्रपुर से सोनिया होटल तक मार्ग पर ऑवरलेईंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। | कराना सुनिश्चित करें। ताकि औद्योगिक वाहनों एवं अन्य वाहनों को आवागमन में असुविधा न हो। | एवं 87 के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया है – **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74** अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 (काशीपुर–सितारगंज अनुभाग) के कि0मी0 175.000 से कि0मी0 252.200 तक के चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य BOT (Toll) पद्धति के आधार पर कार्यदायी संस्था, मै0 काशीपुर सितारगंज हाईवे प्रा0 लि0 के माध्यम से कराया जा रहा है, जिस हेतु कुल लम्बाई 77. 200 कि.मी. के सापेक्ष 77.200 कि.मी. में मैन केरीजवे का निर्माण कार्य 30.12.2022 को पूर्ण करा दिया गया है। सड़क सुरक्षा उपकरण सम्बन्धित कार्य, रोड मार्किंग, सर्विस रोड आदि का कार्य प्रगति पर है।<br>**राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87**:परियोजना की कुल लम्बाई–49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव् नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा कार्यदायी संस्था को क्योर पीरियड नोटिस जारी करते हुए, अवशेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उक्त कार्य नये संवेदक के माध्यम से शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा। |
| | | <u>अन्य बिन्दु</u> | | |
| 28 | **ग्रामीण निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र, ऊ0सिं0न0 के विभागीय औद्योगिक आस्थान, रूद्रपुर एवं** | महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागीय औद्योगिक आस्थान, रूद्रपुर एवं काशीपुर में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे अवस्थापना विकास कार्यों का उनके द्वारा औचक निरीक्षण 05.01.2023 को किया गया जिसमें पाया गया कि मै0 सिंगला इण्डस्ट्रीज, सैक्टर बी–07 रूद्रपुर द्वारा आवंटित भू–खण्ड के अतिरिक्त राजकीय पार्क में मशीनों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिससे औद्योगिक आस्थान में चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | काशीपुर में कराये जा रहे सडक एवं नालियों के मरम्मत एवं निर्माण कार्य तथा पार्कों की चारदीवारी एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों मे कतिपय इकाईयों के द्वारा किये गये अतिक्रमण के कारण अवस्थापना विकास के कार्यों में अवरोध उत्पन्न होने के सम्बन्ध में। | सेक्टर सी–6 एवं 7 रूद्रपुर मे मेसर्स तराई कारपोरेशन द्वारा सरकारी पार्क एवं रोड पर लकडी के गिलटे रखे गये हैं जिसके कारण भी कार्यदायी संस्था को अवस्थापना कार्य को पूर्ण किये जाने मे परेशानी हो रही है।<br>इस सम्बन्ध में संबंधित इकाइर्यों को मौके पर ही राजकीय भूमि से मशीनों एवं अतिक्रमण को हटाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर के पत्र सं0 1028 दिनांक 07.01.2023 द्वारा संबंधित इकाई मै0 सिंगला इण्डस्ट्रीज, सैक्टर बी–07 को एवं पत्र सं0 1025 दिनांक 7.01.2023 द्वारा मेसर्स तराई कारपोरेशन को उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है परन्तु इकाई द्वारा आतिथि तक भी सरकारी भूमि से मशीनें एवं अतिक्रमण नहीं हटाई गई हैं। इसके अतिरिक्त काशीपुर औद्योगिक आस्थान मे भी कुछ इकाईयों द्वारा किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के लिये विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।<br>अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्र सं0 1733 दिनांक 11.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोल्लिखित इकाईयों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया हैं, जिससे कार्य अवरूद्ध हो रहा है। | |
| | **एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा उपलब्ध कराये गये नये बिन्दु** | | |
| 1 | सिडकल में नालियों की सफाई/मरम्मत के संबंध में | महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल क्षेत्र में नाली की सफाई/मरम्मत का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है अथवा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ सैक्टरों में बरसाती नालों की सफाई की गयी है। महोदय सिडकुल की सीवर लाईनें लगभग हर जगह चोक हैं एवं नालियों की दिवारे भी टूट गई हैं। इसके बारे में बार–बार सिडकूल कार्यालय को सूचित किया गया है। साथ ही साथ जिन उद्योगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उनके द्वारा भी पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है। जैसे कि सैक्टर.9, डविक हाईटेक, दुर्गा फाईबर के पास आईआईडीसी में, सैक्टर.4 इमीनेन्ट पावर के पास, होलास्टिक के पास, आदि उद्योगों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्थित कार्यवाही नहीं की गयी है, पानी के जल जमाव होने से बदबू आना, सड़कों का खराब होना एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित महसूस नहीं करना बीमारियों के फैलने का डर आदि जैसी समस्यायें बनी रहती है।<br>अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें। | |
| 2 | सिडकुल में झाड़ियों की सफाई के संबंध में | महोदय आपको अवगत कराना चाहते है कि सिडकूल क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई का कार्य सिडकल की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें की 25 श्रमिक लगातार कार्य कर रहे हैं तथा कार्य प्रगति पर है। महोदय आपको अवगत कराना चाहते है कि यहां के सभी उद्योगों में रात की शिपट भी चलती है, जिससे कि आने जाने वाले महिला एवं पुरूष कर्मचारियों से छीना–झपटी बदसुलूकी मारपीट, आदि जैसी अप्रिय घटनायें होती रहती हैं। महोदय दूसरी तरफ सिडकुल क्षेत्र में झाडियों की सफाई का कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने हेतु सबंधित को | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | निर्देशित करने की कृपा करें ताकि कार्मिकों को सुरक्षित महशूश हो सके। | |
| 3 | **ESIC Hospital** एवं सिडकुल के बीच कनैक्टिंग सड़क/ स्टाफ बढ़ाने के संबंघ में | महोदय, ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल में कार्य शुरू होने पर सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसाइटी और सभी उद्योगों की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय भविष्य में इसे और सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए डॉक्टर्स/स्टाफ बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सिडकुल और ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल के बीच एक कनैक्टिंग रोड बनाने की व्यदस्था की जाये ताकि सभी कर्मचारियों एवं उद्योगों को इसका लाभ मिल सके। अतः महोदयए आपसे अनुरोध है कि इस पर त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें। | |
| 4 | सिडकुल के कैरोलिया लाईटिंग के पास सड़क पर सैक्टर में बीच सड़क से मोबाईल टावर को हटाने के संबंघ में | महोदय, आपको अवगत कराना आवश्यक है कि सैक्टर 3 में मुख्य मार्ग के बीचों–बीच में मोबाईल टावर लगाया गया है जो कि सिडकुल के दायरे में आता है। महोदय यहां प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती है क्योंकि सामने से कोई आ रहा है, यह दिखायी नहीं देता है। हमने पहले भी सिडकुल को पत्र द्वारा सूचित किया है जिसके बाद इसकी जांच भी इनके टैक्नीकल स्टाफ के द्वारा किया जा चुका है। किन्तु अभी तक उस टावर को हटाने की प्रकिया नहीं की गयी है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये । | |
| 5 | कूड़े के निस्तारण के संबंध में | महोदय, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निकलने वाले सूखा कूड़ा, गीले कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था सिडकुल द्वारा नगर निगम रूद्रपुर को दी गयी है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सिडकुल पन्तनगर के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार नगर निगम की 10 गाड़ियां हूटर के साथ लगायी गयी है परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से कूड़ा उठाने की व्यवस्था जो सिडकुल द्वारा प्रदान की गयी है यह व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पायी है। किन–किन सेक्टरों में कब–कब गाड़ियां जाती हैं एवं उन गाड़ियों के पहुंचने का समय क्या है इसकी स्पष्टता नहीं है। महोदय सिडकुल में विभिन्न जगहों पर कूड़े का ढेर लगा रहता है जैसे कि बढ़वे इन्जीनियरिंग के पास, सिडकुल ढाल के पास आदि जगहों पर कूड़ा पड़ा रहता है। इसे उठवाने की सूचारू व्यवस्था की जाये। कूड़े के गाड़ियों के संचालन के सम्बन्ध में भी पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः महोदय से निवेदन है कि संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश देने की कृपा की जाये। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | औद्योगिक सम्बन्ध (आईआर) से सम्बन्धित | महोदय, आपको अवगत कराना चाहते है कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में औद्योगिक सम्बन्ध (आई.आर) की स्थिती दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त श्रमिक संगठन के नाम से आये दिन सिडकुल पंतनगर के अन्दर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे कार्य किये जा रहे हैं जो कि उद्योगों के लिए सही नहीं है। महोदय, जिला प्रशासन द्वारा श्रमिक संगठनों को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करना एवं अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए गांधी पार्क को चिन्हित किया गया है। महोदय आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन के लिए सिडकुल पंतनगर क्षेत्र के अन्दर इजाजत नहीं दी जाये एवं उन्हें चिन्हित किये गये स्थान पर ही धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाये । | |
| 7 | रेडी , पटरी पर कार्य कर रहे हॉकर्स को हटाने के सम्बन्ध में | महोदय आपको अवगत कराना चाहते है कि पूरे सिडकुल क्षेत्र में जगह–जगह सडक किनारे एवं चौराहो पर साईकिल पर या अन्य विकल्प के द्वारा दुकाने लगायी जाती है एवं इनके द्वारा जगह–जगह कचरे फैलाये जाते है। औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की भी दुर्घटन इनसे बनी रहती है। महोदय से निवेदन है कि इनको हटाकर के सिडकुल की दुकानों को आवंटित किया जाये, जिससे स्थिति नियंत्रित हो सके। | |
| 8 | मेडिकल शॉप एवं पैट्रोल पम्प के सम्बन्ध में | महोदय, आप भिज्ञ हैं कि सिडकुल पन्तनगर में बड़ी संख्या में इकाईयां स्थापित हैं एवं इन इकाईयों में काफी अधिक संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं। महोदय ऐसे में किसी भी समय कोई अप्रिय घटना होने पर फस्ट ऐड हेतु अथवा किसी कार्मिक का आकस्मिक स्वास्थ्य खराब होने की दशा में सिडकुल परिसर में एक **मेडिकल शॉप** होना अत्यन आवश्य है। उक्त के अतिरिक्त सिडकुल परिसर में एक पेट्रोल पम्प भी स्थापित किये जाने की आवश्यता है चूंकि सिडकुल कार्मिकों को पैट्रोल लेने हेतु बाजार आदि जाना पड़ता है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक लोड भी बड़ता है एवं अनावश्यक समय व धन की बर्बादी भी होती है। महोदय उक्त दोनों बिन्दु पर विचार किया जाना उचित होगा ताकि कार्मिकों को एवं औद्योगिक इकाईयों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। | |
| **के0जी0सी0सी0आई0 काशीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये नये बिन्दु** | | | |
| 1 | रूद्रपुर में नवनिर्मित ईएसआई अस्पताल को चालू कराए जाने एवं उक्त अस्पताल से सिडकुल के लिए कनेक्टिंग रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में। | महोदय, आपको अवगत कराना है कि रूद्रपुर में निर्मित ईएसआई अस्पताल को अभी तक समुचित रूप से चालू नहीं किया गया है जिसके कारण श्रमिकों को उपचार में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।<br>अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अस्पताल को अतिषीघ्र चालू कराए जाने तथा सिडकुल के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के इलाज हेतु ईएसआई अस्पताल में आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ईएसआई अस्पताल से सिडकुल तक कनेक्टिंग रोड का निर्माण कराने की कृपा करें। | |
| 2 | सिंगल विण्डो सिस्टम के | महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग विभाग में ऑनलाईन आवेदन करने | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अन्तर्गत उद्यमियों को आ रही परेशानियों को दूर कराए जाने के सम्बन्ध में। | के पश्चात विभिन्न विभागों में उद्यमियों को स्वयं जाकर कागजात जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उद्यमियों के लिए सरकार की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की अवधारणा भी पूर्ण नहीं होती तथा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। चूँकि ऑनलाईन आवेदन करते समय उद्यमियों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं।<br>अतः उद्यमियों को सम्बन्धित विभागों में भौतिक रूप से कागजात जमा कराए जाने के प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। उद्यमियों के लिए केवल सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र ही एकमात्र सम्पर्क केन्द्र होना चाहिए। उद्योग विभाग द्वारा ही अन्य विभागों से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जानी चाहिए तथा सभी विभागों द्वारा एक समय सीमा के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए। यदि निश्चित समय सीमा के अन्दर कोई विभाग अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं देता है तो उस विभाग की स्वतः ही अनापत्ति माने जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।<br>उपरोक्त के अतिरिक्त जब कोई उद्यमी सिंगल विण्डो सिस्टम में आवेदन करता है तो जिस भूमि पर वह उद्योग लगा रहा है उस भूमि का विवरण उद्योग विभाग द्वारा सम्बन्धित सहायक कलैक्टर/उप जिलाधिकारी को भेजा जाए तथा उद्योग विभाग द्वारा ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धारा 143–क के अनुसार उक्त भूमि के अकृषक होने का आदेश पारित हो जाए। इस प्रावधान से उद्योग का उत्पीड़न से बचाव के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। | |
| 3 | औद्योगिक प्लॉटों को फ्री–होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में | महोदय, शासन द्वारा औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों को लीज पर भूमि दी हुई है। इनमें से विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत रहते काफी समय बीत चुका है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में स्थापित ऐसे उद्योग जिन्हें कार्यरत रहते 15 वर्ष या उससे भी अधिक का समय बीत गया है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो गयी है, ऐसे उद्योगों की भूमि को फ्री–होल्ड कराने की कृपा करें। | |
| 4 | राज्य में विभिन्न उद्योग नीतियों के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के बिजली बिलों में छूट, बैंक ऋण पर ब्याज में छूट इत्यादि सब्सिडी दावों के भुगतान के सम्बन्ध में। | मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर औद्योगिक नीतियाँ जारी की जाती हैं। इन्हीं औद्योगिक नीतियों में वर्णित प्रोत्साहनों (सब्सिडी) से आकर्षित होकर उद्यमी अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं।<br>मान्यवर, प्रायः देखने में आता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के दावों के भुगतान हेतु उद्यमियों को सम्बन्धित विभागों के निरन्तर चक्कर काटने के बावजूद भी उनके दावों का समय से भुगतान सम्भव नहीं हो पाता जिससे उद्यमियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में राज्य में मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी–2014, मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेण्ट पॉलिसी– 2015, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित "हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.) एवं उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के पावर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहनों के दावे लम्बे समय से लम्बित हैं।<br>अतः आपसे अनुरोध है कि शासन स्तर से समुचित फण्ड की व्यवस्था कराते हुए उक्त दावों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करने की कृपा करें। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | जनपद के औद्योगिक आस्थानों से देहरादून के लिए हेली सेवा संचालित किए जाने के सम्बन्ध में। | महोदय, जैसा कि आपको विदित ही है कि जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर, रूद्रपुर, सितारगंज व खटीमा इत्यादि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग कार्यरत हैं तथा उद्यमियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों को विभिन्न औद्योगिक कारणों से राज्य की राजधानी देहरादून जाना पड़ता है। इन क्षेत्रों से देहरादून की दूरी अधिक होने के कारण सड़क मार्ग से सफर करने पर आने–जाने में 2 दिन का समय समय लग जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि काशीपुर, रूद्रपुर, सितारगंज व खटीमा इत्यादि क्षेत्रों से देहरादून के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जानी चाहिए ताकि उद्यमी सुबह देहरादून जाकर शाम को वापसी कर सकें। इससे उद्यमियों को समय की बचत तथा यात्रा भी सुरक्षित एवं सुगम होगी। | |
| 6 | उद्योगों में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग द्वारा दि0 28 नवम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना में वर्णित कठिन शर्तों का सरलीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में | महोदय, आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग द्वारा उद्योगों में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को नियोजित करने हेतु दिनाँक 28 नवम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या–1256/VIII/18–91(श्रम)/2008 में नियोक्ताओं हेतु कुछ दिशा–निर्देश जारी किए गए थे लेकिन इन दिशा–निर्देशों में कुछ जटिलताओं के चलते उद्योगों में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को नियोजित करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उद्योगों में महिला कर्मकारों को पुरुष कर्मकारों के समान बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा है।<br>अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना में दी गई कठिन शर्तों का सरलीकरण कराने की कृपा करें ताकि उद्योगों द्वारा रात्रि पाली में भी महिला कर्मकारों को नियोजित किया जा सके। | |
| 7 | काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्वीकृत 132 केवी पावर सब–स्टेशन की स्थापना तथा रूद्रपुर क्षेत्र कुरैया व सितारगंज में निर्माणाधीन सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में | महोदय, आपको अवगत कराना है कि काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्थित औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ती हुई विद्युत की माँग को पूरा करने तथा उद्योगों में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुरादाबाद रोड पर यूपीसीएल द्वारा कई वर्ष पूर्व एक 132 केवी पावर सब–स्टेशन स्वीकृत किया गया था परन्तु उसकी स्थापना का कार्य अभी तक भी शुरु नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त रूद्रपुर स्थित ग्राम कुरैया व सितारगंज औद्योगिक पार्क में निर्माणाधीन 33 केवी पावर सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है जिससे क्षेत्र के उद्योगों को विद्युतापूर्ति में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सब–स्टेशनों की यथाशीघ्र स्थापना हेतु यूपीसीएल को निर्देशित करने की कृपा करें। | |
| 8 | उद्योगों को कन्टीन्युअस पॉवर सप्लाई ऑप्शन की सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में। | महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद ऊधम सिंह नगर के कुछ सदस्य उद्योगों द्वारा कन्टीन्युअस पॉवर सप्लाई हेतु यूपीसीएल में काफी समय पूर्व आवदेन किए गए हैं परन्तु विभाग द्वारा उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं जबकि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे उद्योगों को आवेदन करने के एक सप्ताह के भीतर कन्टीन्युअस पॉवर सप्लाई ऑप्शन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।<br>अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विशय में यूपीसीएल के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें। | |

# एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये नये बिन्दु

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | खनन की वन उपज को ढोने में लगी ट्रैक्टर ट्राली/ट्रकों द्वारा सिडकुल रोड का अनाधिकृत प्रयोग कर कम्पनी के वाहनों का मार्ग बाधित करना था सड़क को क्षति पहुंचाना। | खनन सीजन में खनन के माल ढोने में संलग्न वाहन औधोगिक क्षेत्र के विभिन्न आन्तरिक मार्गों से गुजरते हैं तथा इस कारण से औधोगिक क्षेत्र का कार्यरत कारखानो में कच्चा माल लाने अथवा निर्मित माल के परिवहन में सलग्न अन्य ट्रकों का आवागमन बाधित होता है तथा फैक्ट्री आने वाले श्रमिको/ कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने की सभावना बनी रहती है। खनन उपयोग में आने वाले वाहन बहुत भारी होते हैं तथा इस कारण से सडक भी क्षतिग्रस्त हो रही है और दुर्घटनाओं का कारण भी बनती जा रही हैं।<br>एल्डिको सिडकल औधोगिक पार्क में स्थित सडको का निर्माण वहाँ स्थित उधोगों के माल ढोने व कर्मचारियों एवं अन्य आगुन्तकों का आवागमन सुविधाजनक बनाने हेतु किया गया है तथा इन सडको का रख–रखाव भी एल्डिको द्वारा किया जाता है तथा रख–रखाव का खर्चा भी ओघोगिक पार्क स्थित औधोगिक इकाईयों द्वारा वहन किया जाता है।<br><br>आपके निर्देशानुसार इस विषय पर उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल के साथ विचार विमर्श के उपरान्त खनन के वैकल्पिक मार्ग हेतु स्थलीय निरीक्षण सिडकल औद्योगिक प्रतिनिधि के द्वारा संयक्त रुप से किया गया। कल्याणी नदी के खनन क्षेत्र से एक मार्ग ओद्योगिक क्षेत्र (ESIPL) के बाहर और ESIPl के ठीक बगल से होते हए मुख्य राजमार्ग से Connected प्रतीत होता है। किन्तु यह मार्ग उपयोग में नही है। | |
| 2 | खनन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के संबंध में। | महोदय, अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से उपजिलाधिकारी के निरीक्षण के आधार पर खनन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि औद्योगिक क्षेत्र की सड़के सुरक्षित रह सके तथा दर्घटनाओ की रोकथाम हो सके। | |
| | अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से | | |